

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई ए एस, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या :- 483/2023 (पारा 14 सेक्युरिटी एंड एनफोर्समेंट ऑफ सेक्युरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002)  
ए यू रीमोनल एंड ईनेन्स बैंक लिमिटेड (पूर्व ए यू फाइनेंसर इण्डिया लिमिटेड), पंजीकृत कार्यालय  
19-ए, भूतेश्वर बाईपास, आजमेर रोड, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. नोबल चिल्ड्रन एकेडमी संस्था (जरीफे सचिव श्री मुकेश,  
पता :- ई-84, मुरलीपुरा, जयपुर।
2. श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री नन्दराम शर्मा,  
3. श्रीमती शालू शर्मा पत्नी श्री मुकेश शर्मा,  
पता :- प्लॉट नम्बर 26, प्रताप नगर, वार्ड नम्बर 1, नियर गणपति स्कूल, मुरलीपुरा, विद्यानगर  
नगर, जयपुर।
4. विद्यासागर चिल्ड्रन एकेडमी समिति,  
पता :- एन एस रोड, अपोजिट किरण पथ, मानसरोवर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of  
Security Interest Act, 2002.

उपरिस्थित श्री चन्द्र शेखर बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 13.07.2023


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 22-09-2020 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी 1. श्रीमती शालू शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 36, मीणा फार्म हाउस, नियर जमनापुरी, मुरलीपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 331.11 वर्गगज एवं 2. श्री मुकेश कुमार शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 73-74, हनुमान नगर, धनी नगन, जोबनेर, जयपुर क्षेत्रफल 400 वर्गगज को बन्धक रख कर 9,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 07.12.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भीतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर



2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 9,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 7,12,246/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 07.12.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को जवाब दिया गया और जिसका निस्तारण प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा किया जा चुका है। अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। धारा-14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी 1. श्रीमती शालू शर्मा के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 36, मीणा फार्म हाउस, नियर जमनापुरी, मुरलीपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 331.11 वर्गगज एवं 2. श्री मुकेश कुमार शर्मा के स्वामित्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नम्बर 73-74, हनुमान नगर, धनी नगर, जोबनेर, जयपुर क्षेत्रफल 400 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबन्धित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट दाखिल करने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दोखिल दफ्तर हो।  
आदेश आज दिनांक 13.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
 (प्रकाश राजपुरोहित)  
 जिला मजिस्ट्रेट  
 कलक्टर) जयपुर